भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं.हिंदी-2022/प्र.-7/5 नई दिल्ली, दिनांक : 18 .04.2024

महाप्रबंधक (राजभाषा)
सभी क्षेत्रीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां,
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण), मालीगांव, गुवाहाटी
मेट्रो रेलवे, कोलकाता
केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, प्रयागराज

निदेशक,
जगजीवनराम रेल सुरक्षा बल अकादमी,
लखनऊ

महानिदेशक,
इरिसेन/इरीन/इरिमी/इरिसेट/इरिटिम
अ.अ.मा.सं., लखनऊ
भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा

प्रधान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
पटियाला रेल इंजन कारखाना, पटियाला

विषय : सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए लागू राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना, आधार वर्ष-2023.

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक व प्रशंसनीय प्रयोग करने वाले रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को **"राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना"** के तहत पुरस्कृत किया जाता रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों आदि के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार के रूप में प्रत्येक को 3,000/-रू की राशि एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं।

इस योजना के अंतर्गत, लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से लेकर सलेक्शन ग्रेड स्तर तक के अधिकारियों की अनुशंसा इस आधार पर भेजी जा सकती है कि अहिंदी भाषी अधिकारी/कर्मचारी अपना कम से कम 50% तथा हिंदी भाषी अधिकारी/कर्मचारी अपना कम से कम 75% कार्य हिंदी में करते हों। **इस योजना के अंतर्गत एक बार पुरस्कार प्राप्त करने के बाद संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के नाम की सिफारिश अगले 03 वर्षों तक नहीं की जा सकेगी।**

अत: अनुरोध है कि वर्ष-2023 (01.01.2023 से 31.12.2023) के दौरान उपर्युक्त योजना के अंतर्गत सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने वाले पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों की अनुशंसा **उनकी सतर्कता जांच की पुष्टि सहित** 31.07.2024 तक बोर्ड कार्यालय को अवश्य भिजवा दें और नाम भिजवाने वाले पत्र में इसका उल्लेख भी कर दिया जाए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त नामों पर बोर्ड कार्यालय मे विचार नहीं किया जाएगा।

कृपया इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या बोर्ड द्वारा निर्धारित कोटे से अधिक न हो। साथ ही, अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों में सभी मंडलों का भी प्रतिनिधित्व हो। **नाम भिजवाते समय इस बात की पुष्टि भी अवश्य की जाए कि अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों को इस योजना के तहत पिछले 03 वर्षों में पुरस्कृत नहीं किया गया है।**

यह भी उल्लेखनीय है कि अनुशंसित रेल कर्मियों को पुरस्कार राशि RTGS/NEFT के माध्यम से भिजवाई जाएगी, जिसके लिए रेल कर्मियों की बैंक डिटेल्स, संलग्न प्रोफार्मा एवं निरस्त चैक (Cancelled Cheque) के माध्यम से बोर्ड कार्यालय भिजवाई जानी अनिवार्य होगी। प्रोफार्मा के साथ निरस्त चैक की अनुपलब्धता होने पर प्रविष्टि बोर्ड कार्यालय में स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों के पदनाम और उनके कार्यालय का नाम संक्षिप्त रूप में न होकर हिंदी एवं अंग्रेजी में पूर्ण रूप से लिखा हुआ हो।

18/4/24

(रिसाल सिंह)

संलग्नक : यथोक्त

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

RTGS/NEFT कराने के प्रयोजन से अपेक्षित जानकारी भिजवाने हेतु प्रोफार्मा

1. नाम (हिंदी में) :

   NAME (IN ENGLISH) :

2. पदनाम/**DESIGNATION** :

3. कार्यालय का नाम/**OFFICE NAME** :

4. बैंक का नाम/**BANK NAME** :

5. बैंक शाखा का नाम/**BRANCH NAME** :

6. खाता सं./**ACCOUNT NO.** :

   (कृपया cancelled cheque की फोटोप्रति भी संलग्न करें)

7. आई.एफ.एस. कोड/**IFS CODE** :

8. मोबाइल नं./**MOBILE NO.** :

अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

नोट- अनुरोध है कि उपर्युक्त सभी जानकारी (नाम, आईएफस कोड तथा खाता सं.) स्पष्ट रूप से और बैंक खाते के अनुसार ही हो। कोई भी विसंगति होने पर प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी।

Note- It is requested that all the above mentioned information (name, IFS code and account number) should be clear and as per the bank account. In case of any discrepancy the entry will not be accepted.